फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट.), जैतारण (पाली)

…यलान :– प्रेमकवंर **बनाम** गैर सायलान :– तहसीलदार जैतारण वगैरह

…स्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. 127/सन 2018

…हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
…018	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7, 13 एवं 151 सीपीसी, धारा 05 म्याद अधिनियिम व स्थगन प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी गोविन्दसिंह पुत्र दानसिंह के विरूद्ध मौजा कावलियाखुर्द में स्थित खसरा नम्बर 287/1 रकबा 2–07 बीघा किसम चाही सोयम में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 में न्यायालय हाजा में दर्ज होकर अप्रार्थी गोविन्दसिंह पुत्र दानसिंह के विरूद्ध दिनांक 15.11.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 06.03.2017 एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थी गोविन्दसिंह के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 एवं इससे पूर्व एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के बाबत् पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 सहित उक्त दोनो आदेशों को अपास्त किया जाकर मूल कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान करावें। तथा उक्त अनवान के प्रकरण में अदालत हाजा द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को निरस्त करवाने हेतु अप्रार्थी ने अपना मूल प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। पारित आदेश की पालना यदि अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर दी जाती हैं तो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यवाही का उद्देश्य ही निश्फल हो जायेगा। मौके पर भी पक्षकारों के बीच भारी विवाद होगा। स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 के आदेश की पालना व कियाविन्ती को मूल प्रकरण के निस्तारण तक स्थगित किये जाने की इस्तदूआ की। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील प्रार्थी बाबत् हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस बाबत् स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। अतः न्यायहित में जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने तक न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 की कियांविती स्थगित करना उचित समझते हैं। अतः मौजा कावलियाखुर्द पटवार हल्का कावलियाकलां में स्थित खसरा नम्बर 287/1 रकबा 2–07 बीघा किसम चाही सोयम में न्यायहित में जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने तक न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 06.03.2017 की कियांविती स्थगित की जाती हैं। वकील प्रार्थी तलबाना एवं नोटिसेज में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को जरिये नोटिसेज तलब किया जावें। पत्रावली आयन्द दिनांक 23.05.2018 को वास्ते जवाब प्रा. पत्र पेश हो। (sd/-) **ACEM**	
23/5/18	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 14/5/18 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 09 R7, 13 एवं 151 CPC का पेश करने पर बाद जांच दर्ज रजि. किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित कर वकील प्रार्थी को तलबाना एवं नोटिसेज पेश करने का	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आदेश किया जाकर अप्रार्थी को जमानत प्रा० पत्र हेतु दिनांक 23/5/18 को तलब किया गया। परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा तलबाना व लोअर नोटिसेज पेश नहीं किये, जिसकी वजह से अप्रार्थी की तलबी नहीं हो सकी। नोटिसेज पेश नहीं करना वकील प्रार्थी का उदासीन रवैया प्रकट होता है, जिससे न्यायालय का समय बेवजह से जाया हुआ है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा नोटिसेज पेश नहीं करके अर्थात् न्यायालय आदेश प्राप्त कर नोटिसेज पेश नहीं करना उदासीनता का द्योतक है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत 107, 116 एवं 151 द.प्र.सं. का खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट शुमार [illegible] से की हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर [illegible] अजराय नाम हो।
	ACEM. 23/05/18